(a) whether it is a fact that agricultural land has been allotted to many Government employees during the last 5 years and even at present land is being allotted to them;

(b) if so, the area of land allotted in each State and the basis of allotment; and

(c) whether Government propose to enact laws to ensure that agricultural land is allotted to agriculturists only and not to anybody else?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI HARINATHA MISRA): (a) to (c) For the distribution of ceiling surplus agricultural land, the priority is to be given to the landless agricultural workers particularly those belonging to the scheduled castes and scheduled tribes. No specific category has been made for Government servants as such. The States have enacted laws in the light of these guidelinse which are being implemented by them. No information has come to the notice of the Government of India that agricultural land is being allotted to Government employees.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्यकरण

5525. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समाज के निर्धन तथा पिछड़े लोगों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की थी और क्या उनका आर्थिक अक्षमता के कारण, वे इसका पूरा लाभ उठाने में असमर्थ है;

(ख) यदि हां, तो कितने प्रतिशत लोग इसका लाभ उठाने में असमर्थ है;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि निर्धन लोग खाद्यान्न, चीनी, कपड़े आदि का राशन का पूरा कोटा एक ही समय में नहीं खरीद पाते और इस प्रकार की आवश्यक वस्तुओं से वंचित रह जाते हैं; और

(घ) क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि ये लोग अपनी वित्तीय क्षमता के अनुसार उचित दर की दुकानों से आवश्यक वस्तुएं प्रतिमाह दो या चार किश्तों में प्राप्त कर सकें ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (घ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सभी वर्गों के उपभोक्ताओं के लिए है, जिनमें समाज के कमजोर वर्गों के लोग भी शामिल हैं। इस बात का मूल्यांकन नहीं किया गया है कि उन उपभोक्ताओं का प्रतिशत कितना है जो वित्तीय संसाधनों के अभाव के कारण इस प्रणाली का पूरा लाभ उठा नहीं पाये हैं। तथापि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाये जा सकें, इसके लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर निर्देश दिये गये हैं कि वे इस प्रणाली का विस्तार करें और इसे मजबूत तथा सुप्रवाही बनायें। अपने-अपने इलाकों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रशासन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है, जो इस बारे में विभिन्न प्रक्रियाएं निर्धारित करती हैं, जिनमें उचित दर की दुकानों के माध्यम से दी जाने वाली वस्तुओं की मात्रा तथा कितनी-कितनी अवधि के बाद ये वस्तुएं दी जानी हैं, का निर्धारण भी शामिल है। कई राज्यों में ये वस्तुयें महीने में एक बार में नहीं, किंतु महीने के दौरान किस्तों में दी जाती हैं।